पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 231/2024 दिनांक- 25.07.2024

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना देवगांव

पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने वाला गैंगेस्टर का वांछित 25 हजार रूपये का ईनामिया, हिस्ट्रीशीटर अपराधी गिरफ्तार, अवैध असलहा, कारतूस, चोरी की बाइक व जेवरात बरामद।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

दिनांक 15.07.2024 को प्र0नि0 विनय कुमार मिश्र द्वारा गैंग लीडर मोनू सरोज उर्फ बेबे पुत्र फूलचन्द्र सरोज निवासी चिरकिहिट थाना देवगाँव जनपद आजमगढ व गिरोह के सदस्य अभियुक्त 1. सीताराम यादव पुत्र शेखराज यादव निवासी सिसरेडी थाना बरदह जनपद आजमगढ 2. रुस्तम पुत्र मुस्लिम निवासी सहबुद्दीनपुर थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर 3. इमरान हैदर उर्फ नेहाल पुत्र दिलदार हुसैन निवासी सहबुद्दीनपुर थाना गौराबादशापुर जनपद जौनपुर 4. अच्छु उर्फ शुभम यादव पुत्र दिनानाथ निवासी बंगथरी थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर 5. राहुल यादव पुत्र प्रकाश यादव निवासी सिसरेडी थाना बरदह जनपद आजमगढ का एक नाजायज संगठित गिरोह होने व इसके नाजायज गिरोह के सक्रिय सदस्य के साथ अपने स्वयं व गिरोह के सदस्य के आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु चोरी, छीनैती जैसे अपराध कारित करने का अभ्यस्त अपराधी है। इस आशय का अनुमोदित शुदा गैंग चार्ट मय तहरीर दाखिल किया। दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 275/24 धारा 2(ख)(1),3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एव समाज बिरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना बरदह द्वारा संपादित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 25.07.2024 को नि0अ0 रूद्रभान पाण्डेय मय हमराह चिरकिहिट मोड़ पर मौजूद थे कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि थाने का गैंगेस्टर के मुकदमें का वांछित इनामिया अपराधी असलहे के साथ चोरी की मोटर साइकिल से चिरकिहिट से लालगंज की तरफ आ रहा है। जिसके पास असलहा भी है। इस सूचना पर तत्काल निरीक्षक अपराध रूद्रभान पाण्डेय द्वारा उ0नि0 अमित कुमार त्रिपाठी व प्रशि0उ0नि0 गिरिजेश यादव को अवगत कराते हुए पुलिस बल के साथ टिकरी से चिरकिहिट की तरफ आकर अपराधी की घेराबन्दी हेतु निर्देशित किया गया। कुछ देर बाद एक मोटर साइकिल काफी तेज गति से आता दिखाई दिया, जिसे आशंकावश रोका गया तो मोटर साईकिल सवार व्यक्ति अपनी गाड़ी को हड़बड़ाहट में रोककर पीछे मोड़कर भागने का प्रयास किया किन्तु मोटर साइकिल फिसलकर गिर गयी। मोटर साइकिल चला रहा व्यक्ति भागना चाहा कि दूसरी तरफ से उ0नि0 अमित कुमार त्रिपाठी व प्रशि0उ0नि0 गिरिजेश यादव मय हमराह हे0का0 संजय कुमार दूबे, का0 अजय कुमार के आ गये। अपने को दोनो तरफ से घिरता देख कर भाग रहे व्यक्ति ने कहा तुम पुलिस वाले मेरा कुछ नहीं कर पाओगे यदि मुझे पकड़ने की कोशिश करोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। इसी बीच भाग रहे व्यक्ति को उ0नि0 अमित कुमार त्रिपाठी द्वारा रूकने हेतु कहा गया कि उक्त व्यक्ति ने अपनी कमर में खुसा हुआ असलहा निकालकर पुलिस बल को लक्ष्य कर जान से मारने की नियत से एक फायर कर दिया। इसी बीच भाग रहा बदमाश पुनः असलहा लोड करने का प्रयास करने लगा जिसे उ0नि0 अमित कुमार त्रिपाठी, प्रशि0उ0नि0 गिरिजेश यादव मय हमराहीयान की मदद से द्वारा पकड़ लिया गया।

पूछताछ व बरामदगी का विवरणः-

पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम मोनू सरोज उर्फ बेबे पुत्र फूलचन्द्र सरोज निवासी चिरकिहिट थाना देवगाँव जनपद आजमगढ उम्र करीब 25 वर्ष बताया। जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर, नाल में फसा हुआ एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर व पहने पैन्ट की बाये जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ तथा पहने पैन्ट के बायी जबे से एक अदद मंगलसुत्र छोटा, एक मंगलसुत्र बड़ा पीली धातु, एक अदद चैन पीली धातु का बरामद हुआ।

अभियुक्त से बरामद मंगल सुत्र व चैन के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया कि यह सामान मै और राहुल निवासी परसौली थाना बरदह आजमगढ़ के साथ मई महीने में बन्द पड़े मकान ग्राम गिडऊर से चुराया था। जहां पर मुझे व राहुल को 25000 रूपये नगद व मेरे पास से मिला हुए दोनो मंगल सुत्र व एक चैन, एक मांगटीका, एक नथिया व एक चांदी का पैजनी मिला था। जिसमें से हिस्से में मुझे 12500 रूपया नगद तथा यह दोनो मंगल सुत्र व चैन मिला था तथा राहुल ने मांगटीका, नथिया व चांदी की पैजनी तथा 12500 रूपया नगद लिया था। रूपया मेरे पास से खर्च हो गया है।

अभियुक्त के पास से मिली मोटरसाइकिल के बारे में बताया कि यह गाड़ी मेरे द्वारा मार्च महीने में धर्मापुर ठकुरची गांव से एक घर के सामने से चुराकर भाग आया था। तब से यह गाड़ी मै चलाता हूँ। जिसके सम्बन्ध में थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर में मु0अ0सं0 167/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत है तथा बरामद मोटर साइकिल के सम्बन्ध में थाना बरदह जनपद आजमगढ़ पर मु0अ0सं0 157/2024 धारा 457,380 भादवि दिनांक 14.05.2024 को पंजीकृत किया गया है। उक्त मोनू सरोज उपरोक्त से तमंचा रखने व वाहन का कागजात मांगने पर दिखाने से कासिर रहा। तत्पश्चात् पुलिस पर फायरिंग करने व भागने का कारण पूछने पर बताया कि साहब मै थाना देवगांव के गैंगेस्टर के मुकदमें में फरार चल रहा था। पकड़े जाने के डर से मै भाग रहा था और आवेश में आकर पकड़े जाने से बचने के लिए मैने आप लोगों को जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दिया था।

अभियुक्त मोनू सरोज उपरोक्त थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 275/2024 धारा 3(1),2(ख)(1) गैंगेस्टर एक्ट का नामजद वांछित इनामिया अभियुक्त है। अतः पकडे गये अभियुक्त मोनू सरोज उर्फ बेबे पुत्र फूलचन्द्र सरोज निवासी चिरकिहिट थाना देवगाँव जनपद आजमगढ उम्र करीब 25 वर्ष को अन्तर्गत धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 275/2024 धारा 3(1),2(ख)(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना देवगांव आजमगढ़ व मु0अ0सं0 167/2024 धारा 379,411 आईपीसी थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर व मु0अ0सं0 157/2024

धारा 457,380,411 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़ के अपराध का बोध कराते हुए कारण गिरफ्तारी बताकर नियमानुसार हिरासत पुलिस में समय करीब 01.00 बजे लिया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण- मु0अ0सं0 287/2024 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देवगांव आजमगढ़

बरामदगी का विवरण-

1- 01 अदद तमंचा .315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस, 01 अदद जिन्दा कारतूस,
2- 01 अदद चोरी की मोटर साइकिल, 02 अदद मंगल सूत्र पीली धातु, 01 अदद चैन पीली धातु

आपराधिक इतिहास-

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जिला
1	214/2018	379/411/413 भादवि	देवगाँव	आजमगढ
2.	234/2018	394/411/120बी भादवि	देवगाँव	आजमगढ
3	240/2018	392/323/411भादवि	देवगाँव	आजमगढ
4	223/2018	379/411/413 भादवि	गम्भीरपुर	आजमगढ
5	262/2018	379/411 भादवि	देवगाँव	आजमगढ
6	407/2017	392 भादवि	देवगाँव	आजमगढ
7	264/2018	379/411 भादवि	बरदह	आजमगढ
8	157/2024	457,380,411 भादवि	बरदह	आजमगढ
9	167/2024	379,411 भादवि	गौराबादशाहपुर	जौनपुर
10	275/2024	3(1),2(ख)(1) गैंगेस्टर एक्ट	देवगांव	आजमगढ़
11	287/2024	109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट	देवगांव	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1- मोनू सरोज उर्फ बेबे पुत्र फूलचन्द्र सरोज निवासी चिरकिहिट थाना देवगाँव जनपद आजमगढ

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. नि0अ0 रूद्रभान पाण्डेय मय हमराह थाना देवगाव जनपद आजमगढ
2. उ0नि0 अमित कुमार त्रिपाठी चौकी प्रभारी लालगंज मय हमराह थाना देवगांव आजमगढ़
3. प्रशि0उ0नि0 गिरिजेश यादव थाना देवगांव आजमगढ़

थाना निजामाबाद

हत्या में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

वादी अर्जुन कुमार पुत्र रुपचन्द निवासी कुकुडीपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजगमढ की बहन फूलमती देवी उम्र लगभग 36 वर्ष की शादी लगभग 15 वर्ष पहले लालजीत पुत्र ज्वाला प्रसाद निवासी गन्धुवई थाना निजामाबाद जनपद आजगमढ़ के साथ हुआ था। जिनके तीन लडकी एंव एक लडका भी है। ससुराल वाले दहेज के लिए आये दिन प्रताड़ित करते रहते थे। दिनांक 27.06.24 को वादी के बहन फूलमती देवी के ससुराल वाले पति लालजीत, देवर विजय कुमार, ननद मनीता और सास इसरौती देवी ने मिलकर मारा पीटा और जबरदस्ती जहर पिला हत्या कर दिये। वादी के प्रा0पत्र के आधार पर दिनांक 28.06.24 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 316/24 धारा 302 IPC बनाम 1.लालजीत पुत्र ज्वाला प्रसाद 2. विजय कुमार पुत्र ज्वाला प्रसाद 3. मनीता पुत्री ज्वाला प्रसाद 4. इसरौती देवी पत्नी ज्वाला प्रसाद निवासी गण ग्राम गंधुवई थाना निजामाबाद जनपद आजगमढ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक 25.07.24 को थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द मय हमराह उ0नि0 व कर्मचारीगण के थाना हाजा से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र शान्ति सुरक्षा व्यवस्था तलाश वांछित अभियुक्त/वांरण्टी व अपराधियों मे मामुर थे की मुखबीर खास द्वारा सूचना मिली मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता गण अपने घर ग्राम गन्धुवई में आयी हुई है जल्दी किया जाये तो पकड़ी जा सकती है। मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्तागण को उनके घर ग्राम गन्धुवई से हिरासत पुलिस में लिया गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम 1.इसरौती पत्नी स्व0 ज्वाला प्रसाद निवासी गंधुवई थाना निजामाबाद ,आजगमढ उम्र 60 वर्ष 2. मनीता पुत्री ज्वाला प्रसाद निवासी ग्राम गंधुवई थाना निजामाबाद आजगमढ उम्र करीब 22 वर्ष बतायी। अभियुक्तागण को कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 13.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तागण को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 316/24 धारा 302 IPC थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1.इसरौती पत्नी स्व0 ज्वाला प्रसाद निवासी गंधुवई थाना निजामाबाद ,आजगमढ उम्र 60 वर्ष

2.मनीता पुत्री ज्वाला प्रसाद निवासी ग्राम गंधुवई थाना निजामाबाद आजगमढ उम्र करीब 22 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द यादव मय हमराह थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

थाना सिधारी

दहेज हत्या में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना..

दिनांक 9.7.24 को श्री रामू चौहान पुत्र स्व0 बृजेश चौहान निवासी ग्राम व पोस्ट रगंडीह आजमगढ़ थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ने थाना सिधारी पर लिखित तहरीर दिया कि प्रतिवादी गण द्वारा वादी की बहन कविता चौहान उम्र 28 वर्ष व देवांश उम्र करीब 03 वर्ष को विषाक्त पदार्थ देकर जान से मार दिया गया, के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 253/24 धारा 85/80(2) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट दिनांक घटना 08/09.07.24 बनाम (1) पंचदेव चौहान पुत्र बालचन्द्र चौहान (पति) (2) सम्भा चौहान पुत्री बालचन्द्र चौहान (ननद) (3) सरिता चौहान पुत्री बालचन्द्र चौहान (ननद) (4) जलेबी पत्नी स्व0 बालचन्द्र चौहान (सास) (5) विरबल चौहान पुत्र अज्ञात (दमाद) (6) शैलेश चौहान पुत्र अज्ञात (दमाद) सर्व निवासीगढ़ जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर महोदय द्वारा की जा रही थी जिसमें अभियुक्तगण वांछित चल रहें है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 25.7.24 को उ.नि. युगराज सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त पंचदेव चौहान पुत्र बालचन्द्र चौहान सा0 जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर आरटीओ आफिस चौराहे से समय 12.20 बजे गिरफ्तारकर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 253/24 धारा 85/80(2) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1 मु0अ0सं0 253/24 धारा 85/80(2) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

नाम पता अभियुक्त

पंचदेव चौहान पुत्र बालचन्द्र चौहान सा0 जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उ.नि. युगराज सिंह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
2. का. बृजमोहन थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

थाना- तहबरपुर

अवैध देशी तमन्चा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 24.07.2024 को उ0नि0 उमाकान्त शुक्ल मय हमराह को सूचना मिली की एक व्यक्ति जिसके पास अवैध तमंचा है वह किसी अपराधी से मिलने के लिए करियाबर से धनियाकुण्डी जाने वाली पूर्वान्चल एक्सप्रेस वे अण्डर पास के नीचे अन्धेरे मे बैठा है यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता इस सूचना पर विश्वास करके मंशा मुखबीरी से हमराही गणो को अवगत कराते हुए एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर इत्मिनान किया कि किसी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नही है। ग्राम सेमरी से हमराहीगणो द्वारा उक्त व्यक्ति को ग्राम धनियाकुण्डी जाने वाली सड़क की तरफ भागने लगा कि हम पुलिस वालो द्वारा घेरकर उसे पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलासी ली गयी तो उसने अपना नाम मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन पुत्र हफिजुल्लाह साकिन धुरीपुर थाना निजामबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष बताया। जिसके कब्जे से एक अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर चालू हालत में तथा पैन्ट के दाहिने जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ अभियुक्त उपरोक्त को समय 12.50 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः- मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन पुत्र हफिजुल्लाह साकिन धुरीपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरणः- एक अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर तथा एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 166/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 315/96 धारा 379/411 भादवि थाना निजामाबाद, आजमगढ़
2.मु0अ0सं0 357/97 धारा 356/411 भादवि थाना निजामाबाद, आजमगढ़
3.मु0अ0सं0 146/99 धारा 457/380 भादवि थाना निजामबाद, आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 144/99 धारा 379/411 भादवि थाना निजामबाद, आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 433/03 धारा 457/380/411 भादवि थाना फूलपुर आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 434/03 धारा 401 भादवि थाना फूलपुर, आजमगढ़
7.मु0अ0सं0 77/03 धारा 4/10 वन सं0 अधि0 भादवि थाना निजामबाद, आजमगढ़
8.मु0अ0सं0 78/03 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामबाद, आजमगढ़
9.मु0अ0सं0 79/03 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट थाना निजामाबाद, आजमगढ़
10. मु0अ0सं0 469/23 धारा 120बी भादवि 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 थाना निजामाबाद, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

उ0नि0 उमाकान्त शुक्ल मय हमराह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

थाना निजामाबाद

दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

दिनांक- 20.07.24 को वादिनी/पीड़िता ने थाना निजामाबाद पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी द्रामचन्द्र यादव पुत्र स्व0 महगी यादव निवासी फिरोजपुर पो0 टीकापुर थाना निजामाबाद थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 18.03.23 से शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ दुष्कर्म किया गया। दि0 20.07.2024 को अभियुक्तगण रामचन्द्र,रामलगन पुत्र अज्ञात तथा अभिषेक यादव पुत्र कन्हैया यादव निवासी त्रिमूहानी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ व तीन चार लोग अज्ञात द्वारा गाली गलौज करते हुए जान से मार देने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 350/24 धारा 376,504,506,34 भादवि बनाम 1.डा0 रामचन्द्र यादव पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 2.रामलगन राम पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 3.अभिषेक यादव पुत्र कन्हैया यादव निवासी त्रिमूहानी थाना निजामाबाद , आजमगढ़ व तीन- चार लोग नाम पता अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक 25.07.24 को थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त रामचन्द्र यादव पुत्र स्व0महगी यादव निवासी फिरोजपुर थाना निजामाबाद,आजमगढ को ग्राम डोडोपुर तिराहे पर आजगमढ की तरफ रोड़ पर गुमती को समय 11.20 बजे हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग - मु0अ0सं0 350/24 धारा 376,504,506,34 भादवि थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त- रामचन्द्र यादव पुत्र स्व0 मंहगी यादव निवासी फिरोजपुर पो0टीकापुर थाना निजामाबाद,आजगमढ

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. सच्चिदानन्द यादव थानाध्यक्ष मय हमराह थाना निजामाबाद आजमगढ़

थाना – अहरौला

चोरी गये सामान के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

दिनांक 20/06/2024 को वादी मुकदमा सुनील कमार गुप्ता पुत्र स्व0 जियालाल गुप्ता निवासी नगर पंचायत माहुल थाना- अहरौला जनपद- आजमगढ़ के लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर बावत वादी के घर के सामने खड़ी गाड़ी मे से सामान कम्पा कोला रखा गया था जिसमे से लगभग 20- 25 पेटी कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा चुरा ले जाने के सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0सं0 300/24 धारा- 379 भादवि दिनांक घटना 14.06.2024 रात्रि 01.00 बजे घटना स्थल नगर पंचायत माहुल बनाम 1. अज्ञात चोर व बतफतिशी उ0नि0 श्री श्याम कुमार दुबे के पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 25.07.2024 उ.नि. सुधीर कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1.मो0 उमैर पुत्र खुर्शीद अहमद नि0 इस्लामपुर बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंजआजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष, 2. शिवम तालमाली पुत्र राधेश्याम तालमाली नि0 मानीकला थाना खेतासराय जनपद जौनपुर उम्र करीब 22 वर्ष, 3. निशाल बिन्द पुत्र रामलखन नि0 फूलपुर देहात थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को चोरी गये 50 डिब्बी सिंगरेट एवं 02 पेटी कम्पा कोला कोल्ड्रिंग के साथ ग्राम कंदरा तिराहा से समय 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.मो0 उमैर पुत्र खुर्शीद अहमद नि0 इस्लामपुर बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंजआजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष

2. शिवम तालमाली पुत्र राधेश्याम तालमाली नि0 मानीकला थाना खेतासराय जनपद जौनपुर उम्र करीब 22 वर्ष

3. निशाल बिन्द पुत्र रामलखन नि0 फूलपुर देहात थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष

बरामदगी- 50 डिब्बी सिंगरेट एवं 02 पेटी कम्पा कोला कोल्ड्रिंग बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ.नि. सुधीर कुमार सिंह, हे.का. इन्द्रमणि पटेल, का. सुनील कुमार व का. बलवंत यादव थाना अहरौला आजमगढ़ ।

थाना- कप्तानगंज

अवैध असलहा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 25.07.24 को उ0नि0 काशीनाथ यादव मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त अली मुहम्मद पुत्र हसमत अली ग्राम- दशवन्तपुर थाना कप्तानगंज जनपद, आजमगढ़ को गौरा पुलिया से समय करीब 04.35 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से एक अदद नाजायज तमंचा .315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः- 1. अली मुहम्मद पुत्र हसमत अली ग्राम- दशवन्तपुर थाना कप्तानगंज जनपद, आजमगढ़

बरामदगी का विवरण- 1. एक अदद देशी तमंचा .315 बोर व 2. दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 230/2024 धारा 3/25 Arms Act थाना कप्तानगंज आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 काशीनाथ यादव मय हमराह थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना जहानागंज: हत्या के 01 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 07 हजार रूपये जुर्माना

➡ दिनांक- 11.03.1999 को वादिनी मुकदमा श्रीमती बेबी पत्नी प्रकाश नि0 पटेहुना थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने थाना जहानागंज पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी 1.प्रकाश पुत्र किशोर साहू, 2.अच्छेलाल पुत्र रामदास (मृत), 3.पप्पू उर्फ सुनील कुमार पुत्र स्वामीनाथ निवासीगण पटेहुना थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी की पुत्री की हत्या कर कुएं में फेंक दिया गया था,

➡ अभियुक्तों के विरूद्ध थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0- 74/1999 धारा 302/201 भादवि0 पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 07 गवाह परीक्षित हुए है।

➡ मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त अच्छेलाल पुत्र रामदास की मृत्यु** हो गयी है।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 25.07.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0- 01 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त पप्पू उर्फ सुनील कुमार उपरोक्त को दोष मुक्त किया गया तथा **अभियुक्त प्रकाश पुत्र किशोर साहू नि0 पटेहुना थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 07 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया है।

प्रेस-विज्ञप्ति

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 11 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना देवगांव: हत्या के 01 आरोपी अभियुक्त को 11 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये जुर्माना

➡ दिनांक- 10.12.2019 को वादिनी मुकदमा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ ने थाना जहानागंज पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी अभिषेक पुत्र पंचदेव नि0 रेवसा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया था,

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना देवगांव पर मु0अ0सं0- 232/2019 धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 16 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 25.07.2024 को मा0 न्यायालय स्पेशल पोक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अभिषेक पुत्र पंचदेव नि0 रेवसा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ **को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 11 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया है।